

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह की
22/8/24	<p>पचावली पंच हुई वकील वादी उपर वकील वादी ने गत द्रोदेशिका की मालका में पुगिवादी गण की ललकी हेतु सम्मन तलाक़ा पत्र नहीं किये हैं। इतल वकील वादी का प्रकरण में पुगिवादीगण की ललकी हेतु फर्माज नवमा किये जाने से उपरान्त भी पुगिवादीगण की ललकी कराने में इत्सरय रहे। इतलः वादी का बाद इत्सर ललकी में C.P.C प्रावधान से इत्सर जारिज किये गये हैं। इत्सर इत्सर नमा ले इत्सर इत्सर दफतर हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीहवाना-कुम्हवा)</p>